



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

No:A-27012/8/2025-E.III

Dated:23-01-2026

CIRCULAR

विषय :- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन संख्या 19/116/2024- कार्मिक नीति (वेतन) (पीटी) दिनांक 14.10.2024 के अनुसरण में 1 जुलाई 1 जनवरी को केन्द्रीय सरकार की सेवा से क्रमश - 30 जून /31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजन से सैद्धांतिक वेतनवृद्धि प्रदान करना।

Subject:-Grant of notional increment on 1st July/1st January to the employees who retired from Central Government service on 30th June/31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits in accordance with DOPT Office Memorandum no. 19/116/2024- Pers. Pol. (Pay) (Pt) dated 14.10.2024.

कृपया इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या A-30011/2/2024-E-III दिनांक 03.07.2025 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने से संबंधित मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर सख्ती से पालन करने और निपटाने का अनुरोध किया गया था।

तथापि, मुख्यालय कार्यालय के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन का पालन नहीं किया जा रहा है।

Kind reference is invited to this office Memorandum No. A-30011/2/2024-E-III dated 03.07.2025 wherein it was requested to strictly adhere to and dispose of the cases related to grant of notional increments to eligible retired employees within the stipulated time frame.

However, it has come to the notice of the Hqrs. office that the above said OM is not being complied with inspite of the above referred OM.

अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2024 और 20.05.2025, जिन्हें ईएसआईसी मुख्यालय कार्यालय द्वारा पहले ही अंगीकृत और प्रसारित किया जा चुका है, का सख्ती से पालन किया जाए और सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाए।

It is therefore, once again clarified that the Department of Personnel and Training, Government of India's Office Memorandum dated 14.10.2024 & 20.05.2025, which have already been adopted and circulated by the ESIC Hqrs. Office, shall be strictly adhered to and all cases must be disposed of

within the stipulated time frame.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

सहायक निर्देशक / Assistant Director

प्रति / To :

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु ।
2. सभी आंचलिक बीमा युक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु । 3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु ।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु ।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु ।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) /उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा -1 व 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
8. निदेशक वित्त/ उप-निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा - 3) / उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा- 4)/ रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया एसिक पेंशनर्स फ़ेडरेशन ।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।